न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती कंचन राठौड़ (आर. ए. एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 36 / 2022

प्रार्थीगण :–

1. शिवदानराम पुत्र सग्रामराम
2. अमराराम पुत्र भीकाराम
3. ताजाराम पुत्र भीकाराम
4. पेमाराम पुत्र भीकाराम
5. बालुराम पुत्र भीकाराम
6. इमली पुत्री लिखमाराम नाबालिग
7. कुलदीप पुत्र लिखमाराम नाबालिग
8. धापु पुत्री लिखमाराम नाबालिग
9. बतु पुत्री लिखमाराम नाबालिग
10. बेबी पुत्री लिखमाराम नाबालिग सभी नाबालिग जरिये कुदरती वली माता मिरगा पत्नी लिखमाराम
11. मिरगा पत्नी लिखमाराम
12. झम्मू देवी पत्नी दुर्गाराम
13. बलदेवराम पुत्र दुर्गाराम
14. बीजाराम पुत्र दुर्गाराम
15. शेरी पुत्री दुर्गाराम
16. डूंगरराम पुत्र दोलाराम
17. भंवराराम पुत्र रेखाराम
18. सायरी पत्नी रेखाराम
19. मंगाराम पुत्र फुसाराम
20. मुकेश कुमार पुत्र पोकरराम
21. सुरेन्द्र बुड़िया पुत्र पोकरराम
22. राधा पत्नी पोकरराम, सभी जातियान् जाट, निवासीगण बुड़ियों की बासनी तहसील बावड़ी जिला जोधपुर, राजस्थान।

बनाम :-

अप्रार्थीगणः–भूमिधारी जरिये तहसीलदार बावड़ी, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

अधिवक्ता :–

1. श्री सोहनलाल चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:29:04 IST
Reason: SelfAttested

–:निर्णयः–

दिनांक 13.06.2022

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। कि ग्राम बुड़ियों की बासनी, पटवार हल्का खेड़ापा तहसील बावड़ी की राजस्व सीमा में प्रार्थी की कृषि भूमि मौजा ग्राम बुड़ियों की बासनी के खसरा संख्या क्रमशः 119, 165, 17, 171, 36, 101, 103 , 41 की भूमि आयी हुई है। जिसमें बुड़ियों की बासनी की संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति पेश की है। जिसमें प्रार्थी का नाम शिवदानराम उर्फ शिवदान पुत्र श्री सगताराम उर्फ सगराम उर्फ सागरमल दर्ज है। जो गलत है। सही नाम शिवदानराम पुत्र सग्रामराम है। राजस्व प्रार्थना में साक्ष्य के रूप में प्रार्थी ने आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, प्रस्तुत किये गये। जिसमें प्रार्थी का सही नाम शिवदानराम पुत्र सग्रामराम है। तहसीलदार बावड़ी से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल मिसल की गई। तहसीलदार बावड़ी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम शिवदानराम पुत्र सग्रामराम किया जाता है। तो राजहीत प्रभावित नहीं होगा। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन करने के बाद वादी का राजस्व प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्व प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

वादी का राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। कि ग्राम बुड़ियों की बासनी के खसरा संख्या क्रमशः 119, 165, 17, 171, 36, 101, 103 , 41 भूमि में प्रार्थी का नाम शिवदानराम उर्फ शिवदान पुत्र सगताराम उर्फ सगराम उर्फ सागरमल के स्थान पर शिवदानराम पुत्र सग्रामराम दुरस्त कर तहसीलदार बावड़ी को आदेश दिये जाते है कि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर अमल–दरामद करे। तहसीलदार बावड़ी को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

श्रीमती कंचन राठौड़
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

आदेश आज दिनांक 13.06.2022 को खुले न्यायालय में मजमे–आम सुनाया गया ।

श्रीमती कंचन राठौड़
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:29:04 IST
Reason: SelfAttested